न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा

बइजलास श्री संजीव कुमार शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 09/2020 (2020/00013) दिनांक 04.03.2020

पारस कुमार जैन पुत्र मोहनलाल उम्र 50 वर्ष जाति महाजन निवासी कनवास जिला कोटा।
—वादी—

—बनाम—

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

—प्रतिवादी—

वाद खातेदारी घोषणा अन्तर्गत धारा 88

उपस्थित :—
1. श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया — वादी एडवोकेट
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास।

—:: निर्णय ::— दिनॉक :— 04.03.2020

वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट एक वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कनवास कि खातेदार प्रभूलाल पुत्र नारायण व किशनलाल पुत्र प्रभूलाल मेहर निवासी कनवास के संयुक्त खाते में खसरा नबंर 1270 रकबा 1.61 है0, भूमि स्थित थी, उक्त भूमि में खातेदारान ने 0.12 है0, भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ दिनांक 01.04.2014 को संपरिवर्तीत करा लिया उक्त सम्पत्ति संपरिवर्तीत भूमि 0.12 है0, 1200 वर्गमीटर को जर्ये रजिस्टर्ड सेल डीड से खातेदारान से दिनांक 12.10.2014 को कृष्णमुरारी ने खरीद कर लिया तथा कृष्णमुरारी से उक्त दिनांक 28.02.2019 को रजिस्टर्ड सेल डीड संपरिवर्तीत सम्पूर्ण खसरा नबंर 1270 रकबा 0.12 है0, भूमि को वादी ने खरीद कर लिया तथा कब्जा प्राप्त कर लिया आज भी उक्त भूखण्ड पर वादी ही काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है।

यह कि संपरिवर्तीत की गई खसरा नबंर 1270 की रकबा 0.12 है0, भूमि का जब नहरी से आवासीय में दर्ज करने का नामान्तरण संख्या 844 दिनांक 14.11.2014 दर्ज किया गया तो उसी समय सहवन से उक्त भूमि ग्राम पंचायत कनवास के खाते में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया जो अवैध है, नामान्तरण संख्या 844 से केवल भूमि की किस्म परिवर्तन दर्ज की जानी थी। तत्कालीन राजस्व अधिकारी नायब तहसीलदार कनवास को खातेदारी की उक्त खसरा नबंर 1270 की रकबा 0.12 है0, आवासीय भूमि को ग्राम पंचायत कनवास के खाते दर्ज करने का कोई अधिकार नंही था।खसरा नबंर 1270 की रकबा 0.12 हे0, आवासीय भूमि को ग्राम पंचायत कनवास के खाते दर्ज करने का आदेश अनुचित व अवैध है, तथा ऐसे अवैध तरिके से संपरिवर्तीत खसरा नबंर 12701 की रकबा 0.12 है0, भूमि ग्राम पंचायत के खाते दर्ज कर देने में ग्राम पंचायत को अधिकार उत्पन्न नंही होता है।

यह कि वादी जब पता चला कि उसके द्वारा खरीद की गई भूमि खसरा नबंर 1270 रकबा 0.12 है0, गलती से ग्राम पंचायत कनवास के खाते दर्ज हो रही है। तो वादी ने इस बाबत तहसीलदार कनवास व ग्राम पंचायत कनवास में गलती सुधार हेतू प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किये जिसका ग्राम पंचायत कनवास के द्वारा 20.07.2019 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि उक्त भूमि खसरा नबंर 1270 की रकबा 0.12 है0, को ग्राम पंचायत कनवास के गलती से खाते दर्ज कर दी है जिसे हटाने पर ग्राम पंचायत की कोई आपत्ति नंही है। साथ ही उक्त 0.12 है0, संपरिवर्तित भूमि पर वादी को निर्माण करने व नल लाई कनेक्शन प्रदान करने की स्वीकृति भी जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

यह कि ग्राम पंचायत कनवास के द्वारा उक्त प्रस्ताव पास करने पर प्रतिवादी द्वारा नामान्तरण संख्या 844 में सुधार हेतु वादी ने तहसीलदार साहब कनवास को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया परन्तु तहसीलदार कनवास ने उक्त नामान्तरण में सुधार नंही किया तत्पश्चात वादी ने जिला कलक्टर कोटा को भी धारा 80 सी.पी.सी के तहत नोटिस दिनांक 25.11.2019 को प्रेषित किया परन्तु दो माह की अवधि में भी कोई सहायता प्रदान नंही करने पर यह दावा वादी को अपने को खातेदार दर्ज कराने घोषणा खातेदारी हेतू प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादी द्वारा पुनः अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्व खातेदारी हक घोषणा की डिक्री पारित की जाकर ग्राम कनवास की भूमि खसरा नबंर 1270 की रकबा 0.12 है0, जिसके वर्तमान खसरा नबंर 2301/1270 रकबा 0.12 है0, का वादी पारस कुमार जैन को खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्त किया जाकर वादी को खातेदार दर्ज किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी की तलवी जारी की गई, प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कनवास के खसरा नबंर 1270 रकबा 1.61 किस्म नहरी में से 0.12 हे0, भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित हुई थी, जिसका ना0मा0 संख्या 844 के द्वारा यह 0.12 है0, भूमि ग्राम पंचायत कनवास किस्म गै0मु0 आबादी के नाम दर्ज हुई। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कमांक 1/93 क्रमांक 1099 दिनांक 13.10.2014 द्वारा यह 0.12 है0, भूमि विक्रेतागण प्रभूलाल व किशनलाल से क्रेता कृष्णमुरारी तेली निवासी कनवास द्वारा तथा 1/148 क्रमांक 281 दिनांक 28.02.2019 के द्वारा कृष्णमुरारी द्वारा पारस जैन को बेचान की। साथ ही विशेष निवेदन किया कि ग्राम कनवास की आराजी खसरा नबंर 1270 की रकबा 0.12 है0, किस्म गै0मु0 आबादी यदि ग्राम पंचायत कनवास के खाते से हटाकर वादी पारस जैन के खाते दर्ज करने में राज्य सरकार को कोई आपत्ति नंही है। जवाब शामिल पत्रावली किया गया। राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास की ओर से ईकबालिया जवाब होने से प्रकरण में तनकी की आवश्यकता प्रतीत नंही होती। बहस सुनी गई, वकील वादी के उजारत एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व ग्राम पंचायत कनवास द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 20.07.2019 का भी अवलोकन किया जिसमें पंचायत द्वारा पारस कुमार के खाते विवादित आराजी खसरा नबंर 1270 की 0.12 है0, ग्राम कनवास को दर्ज करने में अनापत्ति जाहिर कि ऐसी स्थिति में वादी का वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

अतः जवाब सरकार एवं वाद में संलग्न दस्तावेजों के आधार पर वादी का वाद स्वीकार कर वादी को ग्राम कनवास की खसरा नबंर 2301/1270 की रकबा 0.12 है0, आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर घोषणा की डिक्री पारित की जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि ग्राम कनवास की आराजी खसरा नबंर 2301/1270 की रकबा 0.12 है0, को ग्राम पंचायत कनवास के खाते से हटाकर वादी पारस कुमार जैन पुत्र मोहनलाल जैन के खातेदारी में दर्ज किया जावे। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। आदेशानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनॉक 04.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास** मुकाम **कनवास**

ब इजलास श्री संजीव कुमार शर्मा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

प्रकरण संख्या 09/2020 (2020/00013) दावा **निर्णय दिनांक 04.03.2020**

पारस कुमार जैन पुत्र मोहनलाल उम्र 50 वर्ष जाति महाजन निवासी कनवास जिला कोटा।
–वादी–

–बनाम–

2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

–प्रतिवादी

उपस्थित :–
वादी की ओर से एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया।
प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं. **09/2020** सन **2020** तारीख फैसला **04.03.2020 न्यायालय ब इजलास श्री संजीव कुमार शर्मा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी **नरेन्द्र कुमार कटारिया वादी** मिनजानिब मुदई व **प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री जारी की जाती हैं कि वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम कनवास की आराजी खसरा नबंर 2301/1270 की रकबा 0.12 है0, को ग्राम पंचायत कनवास के खाते से हटाकर वादी पारस कुमार जैन पुत्र मोहनलाल जैन के खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं, इस हेतु तहसीलदार कनवास को तहरीर जारी हो। **तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।** नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **04.03.2020 माह मार्च 2020** को जारी की गई।
मोहर ....

उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

मुदई		रूपया	पै.	मुदायलाह		रूपया
स्टाम्प अर्जीदावा	""	----------NIL---------- .		स्टाम्प वकालतनामा	""	----------NIL---------- .
स्टाम्प वकालतनामा	""			स्टाम्प अर्जी	""	
स्टाम्प वजह सबूत	""			महनताना वकील	""	
महनताना वकील	""			खर्चा गवाहान	""	
खर्चा गवाहान	""			फीस कमिश्नर	""	
फीस कमिश्नर	""			बाबत इजराय हुकमनामा	""	
बाबत इजराय हुकमनामा	""			मुतफर्रिक	""	
मुतफर्रिक	""			मीजान	""	
मीजान	""					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।